UPBG010012082026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं०–1, बागपत।

उपस्थितः नीरू शर्मा, एच.जे.एस.

जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या –426/2026

1. खालिद पुत्र मुस्तकीम उर्फ कल्लू निवासी ग्राम कसेरवा शाहपुर, जिला मुजफफरनगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य

.....अभियोजक।

मु०अ० सं०–21/2026
धारा–85, 352, 76,
64(1),351(2), 115(2)
बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध
अधिनियम
थाना–रमाला,
जिला–बागपत।

दिनांकः 11–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त खालिद की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त की और से सरफराज चौधरी पुत्र बदरूददीन का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त का यह **प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र** है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की और से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। पीडिता की शादी अभियुक्त के भाई सालिम के साथ दिनांक 09–02–2025 को बिना दान दहेज के सम्पन्न हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडिता के साथ कोई बलात्कार करना या उसके भाग को छूने सम्बन्धी कोई कथन नहीं है। मात्र कपडे फाडना बताया है। घटना के समय पीडिता आठ माह की गर्भवर्ती थी। कथित घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडिता के मायके की दिखायी गयी है। मात्र दबाव बनाने के उददेश्य से झूठी कहानी बनायी गयी है। पत्रावली पर पीडिता का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं है। वह दिनांक 21–02–2026 से जिला कारागार बागपत में निरूद्ध है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नसीम द्वारा थाना रमाला पर दिनांक 31–01–2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी कि प्रार्थी की पुत्री/पीडिता की शादी दिनांक 09.02.2025 को सालिम पुत्र

Digitally signed by NEERU SHARMA
Date: 2026.03.11 16:15:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुस्तकीम उर्फ कल्लू निवासी ग्राम कसेरवां थाना शाहपुर जिला मुजफफरनगर के साथ बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुई थी। जिसमें प्रार्थी द्वारा करीब 9 लाख रूपये खर्च किये गये थे परन्तु पीडिता के ससुराल वाले पति सालिम, देवर खालिद, सास अंजुम, ननद खालिदा, ससुर मुस्तकीम उर्फ कल्लू व सालिम के मामा का लडका अफरोज पुत्र गययूर व गययूर पुत्र वटस्नू निवासी बिलासपुर हाल निवासी सी–13 के. ब्लक न्यू सीलमपुर दिल्ली आदि शादी के बाद से ही कम दहेज की तानाकशी करते हुए कार ए.सी. तथा 2 लाख रूपये नगद की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक उत्पीडन करने लगे। पीडिता का देवर खालिद पीडिता पर बुरी नजर रखने लगा था। परन्तु पीडिता अपने पति की इज्जत की खातिर सब कुछ सहन करती रही, अब से करीब साढे पांच माह पहले पीडिता के गर्भवती हो जाने के उपरान्त सालिम व उसके परिवारवालो ने दहेज की मांग करते हुए पीडिता को मांग पूरी होने तक मेरे घर छुडवा दिया। दिनांक 11.11.2025 में पीडिता की ससुराल में साजिदा की मृत्यू की जानकारी मिलने पर मैं व मेरा पुत्र अनस व सुहाना तथा पत्नी कसेरवां पहुंचे तो साजिदा के अन्तिम क्रियाक्रम के बाद पीडिता व अनस को सुहाना की ससुराल वालो ने रोक लिया। शाम को उपरोक्त सभी ससुराल वालो ने पीडिता के साथ गाली गलौच करते हुए दहेज में 2 लाख रूपये कार व ए सी की मांग पूरी करने का दबाव बनाया। खालिद ने रात को मौका पाते ही पीडिता के साथ बुरी नियत से पकडकर उसके कपडे फाड दिये और जबरदस्ती बलात्कार किया। पीडिता ने रोते हुए सारी बाते सुबह अपने भाई को बतायी तो अनस ने कार्यवाही करने की बात कही तो उपरोक्त लोगो ने गोली मारने की धमकी देते हुए दोनो को गांव से भगा दिया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2025 को शिकायत की। दिनाक 13.11.2025 को प्रार्थी एवं पुत्र अनस व पत्नी खेत पर गये हुए थे। पीडिता घर पर अकेली थी। समय करीब 11 बजे पीडिता की ससुराल वाले सालिम, खालिद, अंजुम, मुस्तकीम उर्फ कल्लू, अफरोज पुत्र गययूर, गययूर पुत्र बदरू आदि प्रार्थी के घर में घुस आये और प्रार्थी की पुत्री पीडिता को अकेला पाकर उसके साथ गाली गलौच करते हुए दहेज की मांग पूरी न करने एवं शिकायत करने पर मजा चखायेंगे, कहते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे गर्भवती पीडिता के पेट में गम्भीर चोटे आयी। गययूर ने प्रार्थी की पुत्री पर तमन्चा तान दिया और अफरोज ने पीडिता को पकडकर बलात्कार करने की नियत से सुहाना के कपडे फाड दिये और कमरे में अन्दर खींचने लगा। पीडिता चिल्लाई जिस पर नानू पुत्र रमजानी व मोहल्ले के काफी लोग आ गये। प्रार्थी ने घटना की शिकायत थाना रमाला जिला बागपत में की, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी की पुत्री गर्भवती थी। प्रार्थी की पुत्री ने दिनांक 29.12.2025 को एक पुत्री को जन्म दिया। प्रार्थी ने पीडिता की ससुराल वालो को सूचना दी परन्तु कोई ससुराल पक्ष से नहीं आया। प्रार्थी ने करीब 70 हजार रूपये खर्च किये तथा ईलाज कराया। प्रार्थी की पुत्री से विपक्षीगण 2 लाख रूपये नगद व कार की मांग कर रहे है तथा अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित घटना के समय पीडिता आठ माह की गर्भवर्ती थी। मात्र दबाव बनाने के उददेश्य से झूठी कहानी बनायी गयी है। पत्रावली पर पीडिता का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं है। अतः जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादिनी की और से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त पीडिता का देवर है। पत्रावली पर पीडिता का कोई मेडिकल प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को कस्टडी में रखकर अभियुक्त से कोई बरामदगी होना शेष नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु० पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के आधार पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(नीरू शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं०–01,
बागपत।